उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4

संख्या- 106/2015/ 576/22-4-15-48(45)/15

लखनऊ : दिनांक- 11 मई,2015

विज्ञप्ति/नियुक्ति

जेल नियम संग्रह (जेल मैनुअल) उत्तर प्रदेश के प्रस्तर- 669 में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय गैर सरकारी जेल वीक्षकों को नामित किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या- 1495/22-4-2002-48(23)/99, दिनांक 07-01-2003 में उल्लिखित शर्तों के अन्तर्गत **जिला कारागार, वाराणसी** के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को गैर सरकारी जेल वीक्षक नियुक्त करते हैं। ये आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे तथा इनकी नियुक्ति इस आदेश के निर्गत किये जाने की तिथि से दो वर्ष (02 वर्ष) तक की अवधि के लिए होगी, यदि इसके पूर्व ही इनकी नियुक्ति शासन द्वारा निरस्त न कर दी जाय।

1- श्री रामजी यादव पुत्र स्व0 बद्री प्रसाद, निवासी-सी0के0 63/4सी0-1, छोटी पियरी, जनपद-वाराणसी।

2- श्री अनिल सिंह पटेल पुत्र स्व0 कैलाशनाथ सिंह, निवासी-एस0-2/199, सुन्दरपुर, जनपद-वाराणसी।

3- श्री ज्ञानेन्द्र नाथ मिश्रा पुत्र स्व0 कैलाशनाथ मिश्रा, निवासी-जे0-12/15जी-6, बी-2, बौलियाबाग, धूपचण्डी, जनपद-वाराणसी।

एस0के0रघुवंशी
सचिव

संख्या-106/2015/576(1)/22-4-15-तददिनांक-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी।

3- निदेशक सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद को राजकीय गजट के अगले अंक में प्रकाशन हेतु।

5- अधीक्षक, जिला कारागार, वाराणसी।

6- सम्बन्धित व्यक्ति।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in